वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर, 2019-कार्तिक 17, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF SURNAME

I, Anmol Gupta D/o Pawan Kumar Gupta W/o Kaushik Rathi born on 23-05-1992, residing at 52, Sharda Vihar, City Centre, Gwalior 474011 have changed my name to Anmol Rathi vide affidavit Dated 17-10-2019 at Gwalior.

Old Name:
(ANMOL GUPTA)
D/o Mr. Pawan Kumar Gupta.

New Name :
(ANMOL RATHI)
W/o Mr. Kaushik Rathi.

(727-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम युसुफ जहरा (YUSUF ZEHRA) एवं मेरे आधारकार्ड व अन्य दस्तावेजों में युसुफ जहरा रिजवी (YUSUF ZEHRA RIZVI) दर्ज है, अब मैंने अपना नाम बदलकर शीबा जहरा (SHEEBA ZEHRA) रख लिया है जो कि सत्य व सही है. अतः भविष्य में मुझे युसुफ जहरा (YUSUF ZEHRA) के स्थान पर शीबा जहरा (SHEEBA ZEHRA) के नाम से जाना व पहचाना जावे और मेरे सभी प्रकार के दस्तावेजों में मेरा नाम शीबा जहरा (SHEEBA ZEHRA) किया जावे.

पुराना नाम :
(युसुफ जहरा/युसुफ जहरा रिजवी)
(YUSUF ZEHRA/YUSUF ZEHRA RIZVI)

नया नाम :
(शीबा जहरा)
(SHEEBA ZEHRA)
पत्नी वकार हुसैन रिजवी,
निवासी-नूरंगज, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(728-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, चन्दन सिंह बाथम पुत्र श्री पन्नालाल बाथम सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम चन्दन सिंह था जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम चन्दन सिंह अंकित हो गया है जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड,

राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम चन्दन सिंह बाथम अंकित है एवं वर्तमान में मुझे चन्दन सिंह बाथम के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम चन्दन सिंह बाथम के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अत: मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम चन्दन सिंह के स्थान पर चन्दन सिंह बाथम अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(चन्दन सिंह)

नया नाम :

(चन्दन सिंह बाथम)
पुत्र श्री पन्नालाल बाथम,
निवासी-रवि नगर, पीच आनंदी बाई मंदिर,
366, धारकापुरी, ग्वालियर (म.प्र.).

(729-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, कमला बाथम पत्नी श्री चन्दन सिंह सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा बोलता नाम कमला बाई था जो मेरे पति के बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है. जबकि मेरे सभी शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम कमला बाथम पत्नी श्री चन्दन सिंह अंकित है एवं वर्तमान मैं मुझे कमला बाथम के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा कमला बाई एवं कमला बाथम मेरे ही नाम है तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम कमला बाथम के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी. अत: मेरे पति के बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा सही नाम कमला बाथम लिखा एवं पढ़ा जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(कमला बाई)

नया नाम :

(कमला बाथम)
पत्नी श्री चन्दन सिंह बाथम,
निवासी-रवि नगर, पीच आनंदी बाई मंदिर,
366, धारकापुरी, ग्वालियर (म.प्र.).

(730-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष साहू पुत्र श्री कल्लाराम साहू सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बोलता नाम संतोष कुमार साहू पुत्र श्री कल्लाराम था और वर्तमान में मुझे संतोष साहू पुत्र श्री कल्लाराम साहू के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और संतोष साहू के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बोलता नाम संतोष कुमार साहू लिखा गया है जो कि गलत है. अत: मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा संतोष कुमार साहू के स्थान पर संतोष साहू पुत्र श्री कल्लाराम लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(संतोष कुमार साहू)

नया नाम :

(संतोष साहू)
पुत्र-श्री कल्लाराम साहू,
पता-हनुमान कॉलोनी डबरा,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(731-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पूर्व में अपना नाम प्रतीक गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र गुप्ता लिखता था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अब मैं अपना उपनाम गुप्ता के स्थान पर अग्रवाल कर रहा हूँ. मुझे भविष्य में प्रतीक गुप्ता के स्थान पर प्रतीक अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(प्रतीक गुप्ता)
पुत्र श्री राजेन्द्र गुप्ता.

नया नाम :

(प्रतीक अग्रवाल)
पुत्र श्री राजेन्द्र गुप्ता,
निवासी-गुड़ा गुड़ी का नाका,
जैन मंदिर के पास, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(732-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का जन्म दिनांक 30-11-2016 को हुआ था एवं उसके जन्म प्रमाण-पत्र, लाडली लक्ष्मी योजना एवं सुकन्या योजना में वैष्णवी गुप्ता दर्ज है. किन्तु अब मैंने अपनी पुत्री का नाम नायशा गुप्ता कर दिया है. अत: भविष्य में मेरी पुत्री को नायशा गुप्ता के नाम से ही जाना, पहचाना, पढ़ा व लिखा जावे.

नीरज गुप्ता,
पुत्र-श्री जमुनाप्रसाद गुप्ता,
निवासी-दुबे का मोहल्ला, वार्ड नं. 4,
सेवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.).

(733-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, उत्तम चंद अग्रवाल (पुराना नाम) पिता श्री कमलनयन अग्रवाल, निवासी-602, प्रीमियम टॉवर 4, शालीमार टाउनशिप, इन्दौर-452010, जन्म तिथि 5 सितम्बर, 1955 शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरी हायर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष 1971 की अंकसूची में मेरा नाम उत्तम चंद अग्रवाल अंकित है, जबकि इसके पश्चात् सभी जगह मेरा नाम उत्तम अग्रवाल अंकित है. मुझे मेरे सही व वास्तविक नाम उत्तम अग्रवाल से ही जाना, माना और पहचाना जावे. सभी अभिलेखों में मेरा नाम उत्तम अग्रवाल ही दर्ज किया जाये.

पुराना नाम :

(उत्तम चंद अग्रवाल)

नया नाम :

(उत्तम अग्रवाल)
602, प्रीमियम टॉवर 4, शालीमार टाउनशिप,
एबी रोड, इन्दौर.

(734-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ शपथकर्ता की 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट एवं प्रमाणपत्रों में मेरा नाम कुलदीप अंकित है जबकि मेरे अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम कुलदीप सिंह अंकित है जो कि सही है. अत: भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कुलदीप सिंह से ही जाना व पहचाना जावे. यह कि मैं वर्तमान में किसी भी शासकीय एवं गैर शासकीय सर्विस में नहीं हूं.

पुराना नाम :

(कुलदीप)

नया नाम :

(कुलदीप सिंह)
पुत्र- श्री रविन्द्र सिंह,
निवासी-104, धीरज सिंह का पुरा, ग्राम बड़ापुरा,
पोस्ट बरई, तहसील अटेर, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(735-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि मेरा वास्तविक व सही नाम नारायण जोशी है व मेरा यही नाम मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है जो कि सही है. मुझे घर पर प्रेम पूर्वक राजेन्द्र कुमार के नाम से सम्बोधित किया जाता रहा होने से मेरा घरेलु नाम राजेन्द्र जोशी है इस प्रकार उक्त दोनों नाम क्रमश: मेरा वास्तविक व सही नाम "नारायण जोशी" व मेरा घरेलु नाम "राजेन्द्र कुमार जोशी" यह दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के नाम है.

पुराना नाम :

(राजेन्द्र कुमार उर्फ नारायण जोशी)

नया नाम :

(नारायण जोशी)
पिता-काशीराम जोशी,
निवासी- 133, धनंवतरी नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(736-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, रामनरेश कुशवाहा उम्र 62 वर्ष, पिता स्व. छोटे काछी, निवासी- म.नं. 1547, हृदय नगर, हाथीताल कालोनी, गुप्तेश्वर, जबलपुर यह कि मेरा नाम रामनरेश कुशवाहा है जो कि सही है. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रामनरेश कनौजिया दर्ज है व मेरी पैत्रिक संपत्ति में मेरा नाम रामजी काछी दर्ज है जो कि मेरे ही नाम है मुझे तीनों नामों से जाना-पहचाना जाता है. यह कि आज दिनांक से मुझे रामनरेश कुशवाहा पिता स्व. छोटे काछी से जाना-पहचाना जावे जो कि सत्य व सही है.

पुराना नाम :

(रामनरेश कनौजिया व रामजी काछी)
पिता-स्व. छोटे काछी.

नया नाम :

(रामनरेश कुशवाहा)
पिता-स्व. छोटे काछी.

(737-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सत्य कथन करती हूँ कि मेरा नाम आशा परिहार है परन्तु मेरी एलआईसी पॉलिसी न. 203113710 में मेरा नाम ऊषा परिहार पत्नी नरेश सिंह परिहार दर्ज हो चुका है. अत: मैं गजट के द्वारा अपना नाम एलआईसी पॉलिसी में आशा परिहार दर्ज करवाना चाहती हूँ. मेरे सभी दस्तावेज आशा परिहार के नाम से हैं. ऊषा व आशा एक ही महिला हैं. अगर भविष्य में इसके कारण कोई भी क्षतिपूर्ति आती है तो उसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार हूं. सर्व सूचित हों.

पुराना नाम :	नया नाम :
(ऊषा परिहार)	**(आशा परिहार)**
पत्नी- नरेश सिंह परिहार,	पत्नी- नरेश सिंह परिहार,
	निवासी-गोल पहाड़िया, ए.बी. रोड़,
	लश्कर, ग्वालियर.

(738-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, धर्मेन्द्र कुशवाहा उम्र 28 वर्ष, पिता श्री रामनरेश कुशवाहा, निवासी- म.नं. 1547, हृदय नगर, हाथीताल कालोनी, गुप्तेश्वर, जबलपुर यह कि मेरे फस्ट ईयर की मार्कशीट से लेकर ग्रेजुऐशन तक एवं पासपोर्ट व आधारकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम धर्मेन्द्र कुशवाहा दर्ज है जो कि सही है. यह कि मेरी दसवीं व बारहवीं की अंकसूची में मेरा नाम धर्मेन्द्र कुमार कुशवाहा दर्ज है जो कि मेरा ही नाम से व मुझे दोनों नाम से जाना जाता है. यह कि आज दिनांक से धर्मेन्द्र कुमार कुशवाहा के स्थान पर धर्मेन्द्र कुशवाहा पढ़ा व मान्य किया जावे. इसी नाम से मुझे जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(धर्मेन्द्र कुमार कुशवाहा)	**(धर्मेन्द्र कुशवाहा)**
पिता-श्री रामनरेश कुशवाहा.	पिता-श्री रामनरेश कुशवाहा.

(739-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, हरीराम बसोर, मैकेनिक (अनु. जा.) पिता स्व. श्री गनेश प्रसाद बसोर को, के स्थान पर शासकीय, अर्द्धशासकीय प्राईवेट, निजी समाचारपत्रों आदि लेखों-जोखों, विलेखों, अभिलेखों मे तथा लिखने, पढ़ने, बोलने आदि में उपनाम हरीराम बंसल (अनु.सा.) पिता स्व. श्री गनेश प्रसाद बंसल जो मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम कार्यालय छतरपुर में मैकेनिक के पद पर कार्यरत है को उपरोक्त अनुसार अनुमति प्रदान करने हेतु कृपया उपरोक्त अनुसार विज्ञप्ती प्रकाशित करने की कृपा करे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(हरीराम बसोर मैकेनिक)	**(हरीराम बंसल मैकेनिक)**
दुर्गानगर रजाखेड़ी, प्रकाश डेरी रोड़,	दुर्गानगर रजाखेड़ी, प्रकाश डेरी रोड़,
शिवाजी वार्ड 8, आंगनवाड़ी के पास,	शिवाजी वार्ड 8, आंगनवाड़ी के पास,
मकरोनिया सागर (म.प्र.).	मकरोनिया सागर (म.प्र.).

(740-बी.)

जाहिर सूचना

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुनील कुमार मिश्रा S/o श्री आर. के. मिश्रा आज दिनांक 01/12/2016 से फर्म सर्वेश बिल्डर्स एंड डेवेलोपेर्स अन्य भागीदार श्री प्रथेप नायर S/o के. एस. नायर, श्री नरेन्द्र विश्वकर्मा S/o एन. के. विश्वकर्मा, श्री विवेक मिश्रा S/o श्री आर. सी. मिश्रा के सर्व-सम्मति से अलग हो गया हूँ. मुझे उपरोक्त फर्म के आय, व्यय, लेखा-जोखा, बैंक व वित्तीय दायित्व या किसी भी अन्य दायित्व से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया गया है. फर्म के अन्य भागीदारों द्वारा किसी से कभी भी किये गये वित्तीय लेन-देन में मेरा कोई वास्ता ना था ना रहेगा. मेरा पूर्व में भी फर्म के वित्तीय लेन-देन में कभी किसी प्रकार के दायित्व का वहन नहीं किया गया था. मेरा उक्त फर्म के भागीदारी क्रियाकलापों से किसी भी तरह का कोई वास्ता संबंध नहीं है न रहेगा.

सुनील कुमार मिश्रा.

(741-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

दिनांक 07 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि श्री विमल कुमार पिता बसंतीलाल जैन, अध्यक्ष " '' आम परिवर्तन '' गौ प्राणी सेवा ट्रस्ट '' द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 नवम्बर, 2019 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, एस.एल. शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 06 नवम्बर, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	"'' आम परिवर्तन '' गौ प्राणी सेवा ट्रस्ट '' 11/12, फव्वारा चौक, नीमच.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 33,000/. (अक्षरी रुपये तैतीस हजार मात्र)

(811)

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

दिनांक 07 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि श्री खुशीराम धामेचा पिता श्री पोहुमल धामेचा, अध्यक्ष ''श्री सतगुरू सांई, गोपालदास पारमार्थिक गौशाला ट्रस्ट'' द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 नवम्बर, 2019 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, एस.एल. शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 06 नवम्बर, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	''श्री सतगुरू सांई, गोपालदास पारमार्थिक गौशाला ट्रस्ट'' मकान नंबर 27, वार्ड नंबर 28, विकास नगर 14/1, नीमच.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5000/. (अक्षरी रुपये पांच हजार मात्र)

एस. एल. शाक्य,
पंजीयक.

(812)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बण्डा, जिला सागर

रा.प्र.क्र./04/बी-113/2017-18.

बण्डा, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 ग्राम बण्डा, तहसील बण्डा.

मनोज कुमार तिवारी अध्यक्ष
निवासी बण्डा, तहसील बण्डा, जिला सागर म.प्र. आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन अनावेदक

क्र./क/2488/रीडर-1/2019.-सर्वसाधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक मनोज तिवारी, निवासी बण्डा, जिला सागर द्वारा मौजा ग्राम बण्डा में स्थित श्री दुर्गा मंदिर मानस समिति बन्डा बडी खेर माता मंदिर बण्डा में न्यास एवं न्यासधारी के न्यास मध्यप्रदेश अधिनियम की धारा-4 के अधीन लोक न्यास का पंजीयन कराने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है.

क्र.	प्रस्तावित नाम	पद नाम	निवास का पता
1.	श्री मनोज कुमार तिवारी	अध्यक्ष	वार्ड क्र. 10 बण्डा
2.	श्री कृष्णकुमार सोनी	उपाध्यक्ष	वार्ड क्र. 14 बण्डा
3.	श्री राकेशकुमार कटारे	सचिव	वार्ड क्र. 10 बण्डा
4.	श्री संतोषकुमार खरे	सह सचिव	वार्ड क्र. 10 बण्डा
5.	श्री दीपक सरवरिया	व्यवस्थापक	वार्ड क्र. 14 बण्डा
6.	श्री देवेन्द्र कुमार विश्वकर्मा	कोषाध्यक्ष	वार्ड क्र. 10 बण्डा
7.	श्री विजयकुमार मिश्रा	सहकोषाध्यक्ष	वार्ड क्र. 10 बण्डा
8.	मान. श्री शिवराज भैया पूर्व सांसद	संरक्षक	वार्ड क्र. 10 बण्डा
9.	श्री पं. श्री दिनेश कुमार उपाध्याय	पुरोहित	वार्ड क्र. 10 बण्डा
10.	श्री पं. श्री रामकिशोर गर्ग	सहायक पुरोहित	सागर-कानपुर रोड बण्डा

ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुसार श्री दुर्गा मंदिर मानस समिति बन्डा बडी खेर माता मंदिर बण्डा नवीन समिति का गठन किया जाना है, अत: उक्त संबंध में जिस किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 18 नवम्बर, 2019 को उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है. म्याद गुजरने पर प्रस्तुत आपत्ति पर किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

जीतेन्द्र कुमार पटेल,
अनुविभागीय अधिकारी.

(813)

न्यायालय, पंजीयक सार्वजनिक लोक न्यास, अशोकनगर

प्र.क्र./3223/बी-121/2019-20/1367.

[नियम पॉच-1 देखिए]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत]

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक अशोकनगर, जिला अशोकनगर के समक्ष यह कि

आवेदक राकेश जैन द्वारा महामंत्री दयोदय पशु सेवा केन्द्र रांवसर, तहसील व जिला अशोकनगर का लोकन्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार के लिए लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

1. वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष राकेश जैन, तहसील व जिला अशोकनगर.

2. चल सम्पत्तिः रु. 19,46,000

3. अचल सम्पत्तिः महामंत्री दयोदय पशु सेवा केन्द्र रांवसर, जिला अशोकनगर (म.प्र.).

सुरेश जादव,

(814) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मन्दसौर, जिला मंदसौर

प्र.क्र.01/बी-113(1)/2018-19.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 की धारा-5(2) लोक न्यास नियम 1962 नियम-5(1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर जिला मन्दसौर **के समक्ष.**

चूंकि "मूर्ति आदिनाथ नरसिंहपुरा दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट ग्राम बनी, तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर म.प्र." द्वारा मुख्य न्यासधारी-अध्यक्ष केशरीमल पिता मन्नालाल जैन नि. ग्राम बनी तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 25-अक्टूबर, 2019 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, सुश्री अंकिता प्रजापति, पंजीयक, लोक न्यास , मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूं. अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

संपत्ति का विवरण

लोक न्यास का नाम :- "मूर्ति आदिनाथ नरसिंहपुरा दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट ग्राम बनी, तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर म.प्र.".

(अ) अचल सम्पत्ति :- निरंक.

(ब) चल सम्पत्ति :- निरंक.

2. ट्रस्ट की चल सम्पत्ति के रूप में 5000/- रु. है.

(815)

प्र.क्र.01/बी-113(1)/2018-19. मन्दसौर, दिनांक 04 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 की धारा-5(2) लोक न्यास नियम 1962 नियम-5(1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर जिला मन्दसौर के **समक्ष.**

चूंकि "श्री बलदेव मंदिर लोक न्यास ब्रम्हानन्द आश्रम के पास नालछामाता रोड, मन्दसौर मध्यप्रदेश" द्वारा मुख्य न्यासधारी-मनोज पिता राधेश्याम व्यास, 9-स्नेह नगर संजीत रोड, मन्दसौर, जिला मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 25-अक्टूबर, 2019 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, सुश्री अंकिता प्रजापति, पंजीयक, लोक न्यास , मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यास का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूं. अत: एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

संपत्ति का विवरण

लोक न्यास का नाम :- "श्री बलदेव मंदिर लोक न्यास ब्रम्हानन्द आश्रम के पास नालछामाता रोड, मन्दसौर, जिला मन्दसौर म.प्र.".

(अ) अचल सम्पत्ति :- निरंक.

(ब) चल सम्पत्ति :- निरंक.

(816)

प्र.क्र.02/बी-113(1)/2018-19.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 की धारा-5(2) लोक न्यास नियम 1962 नियम-5(1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर जिला मन्दसौर के **समक्ष.**

चूंकि "श्री चारभुजानाथ मंदिर मेड क्षत्रीय स्वर्णकार समाज न्यास खानपुरा, मन्दसौर मध्यप्रदेश" द्वारा मुख्य न्यासधारी 1. कृष्णगोपाल पिता मांगीलाल सोनी, 60 साल, निवासी गोतम नगर कालाखेत मन्दसौर, 2. सुभाष पिता हरिओमजी सोनी, 39 वर्ष, निवासी सोनी कॉलोनी दलोदा, तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 25-अक्टूबर, 2019 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, सुश्री अंकिता प्रजापति, पंजीयक, लोक न्यास , मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूं. अत: एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

संपत्ति का विवरण

लोक न्यास का नाम :- "श्री चारभुजानाथ मंदिर मेड क्षत्रीय स्वर्णकार समाज न्यास खानपुरा म.प्र.".

(अ) अचल सम्पत्ति :- निरंक.

(ब) चल सम्पत्ति :- निरंक.

2. ट्रस्ट की चल सम्पत्ति के रूप में 25000/- रु. बैंक में जमा किये है.

अंकिता प्रजापति,

(817) अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1506.—जिले में स्थित जय श्री किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देलाखारी, पंजीयन क्रमांक 968, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक

द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत जय श्री किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देलाखारी का पंजीयन का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(818)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1507.—जिले में स्थित वाटिका बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोदाडोंगरी, पंजीयन क्रमांक 910, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत वाटिका बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोदाडोंगरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(819)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1508.—जिले में स्थित गुरूदेव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दीघावानी, पंजीयन क्रमांक 936, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत गुरूदेव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दीघावानी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(820)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1509.—जिले में स्थित दादाजी धूनीवाले बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवखापा, भंडारगोंदी पंजीयन क्रमांक 954,

दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत दादाजी धूनीवाले बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवखापा (भंडारगोंदी) का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(821)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1510.—जिले में स्थित पातालकोट फल-फूल साग सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., श्रीझोत, पंजीयन क्रमांक 970, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत पातालकोट फल-फूल साग सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., श्रीझोत का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(822)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1533.—जिले में स्थित जय मां भवानी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देनी, पंजीयन क्रमांक 978, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत जय मां भवानी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देनी पंजीयन क्रमांक 978, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(823)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1534.—जिले में स्थित जय माता दी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पलासपानी, पंजीयन क्रमांक 999,

दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत जय माता दी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पलासपानी पंजीयन क्रमांक 999, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(824)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1535.—जिले में स्थित माँ उज्जवला बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तुमड़ागाड़ी, पंजीयन क्रमांक 980, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत माँ उज्जवला बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तुमड़ागाड़ी, पंजीयन क्रमांक 980, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(825)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1536.—जिले में स्थित माँ वैष्णवी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लोहारबतरी, पंजीयन क्रमांक 979, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत माँ वैष्णवी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लोहारबतरी, पंजीयन क्रमांक 979, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(826)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1537.—जिले में स्थित जय माँ शारदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., थुयेपानी पंजीयन क्रमांक 1006,

दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत जय माँ शारदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., थुयेपानी पंजीयन क्रमांक 1006, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(827)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1538.—जिले में स्थित बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरियाकलां पंजीयन क्रमांक 861, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरियाकलां पंजीयन क्रमांक 861, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(828)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1539.—जिले में स्थित सुरूचि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुण्डई पंजीयन क्रमांक 1007, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सुरूचि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुण्डई पंजीयन क्रमांक 1007, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(829)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1540.—जिले में स्थित जय सतपुड़ा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डोकलीखुर्द पंजीयन क्रमांक 917,

दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत जय सतपुड़ा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डोकलीखुर्द पंजीयन क्रमांक 917, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(830)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1541.—जिले में स्थित अभिनव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उल्हावाड़ी पंजीयन क्रमांक 1015, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत अभिनव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उल्हावाड़ी पंजीयन क्रमांक 1015, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(831)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1542.—जिले में स्थित श्री माँ अम्बे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरीमाली पंजीयन क्रमांक 969, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत श्री माँ अम्बे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरीमाली पंजीयन क्रमांक 969, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(832)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1543.—जिले में स्थित जय माता भवानी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछुआ पंजीयन क्रमांक 958,

दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत जय माता भवानी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछुआ पंजीयन क्रमांक 958, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(833)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1544.—जिले में स्थित कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनकूघाटी पंजीयन क्रमांक 756, दिनांक 31 मार्च, 2011 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनकूघाटी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

जी. एस. डेहरिया,

(834) उप-पंजीयक.

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1934.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/206, दिनांक 04 फरवरी, 2017 के द्वारा औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, रीछी, पंजीयन क्रमांक/2910, दिनांक 28 फरवरी, 2007 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री दिनेश भालेकर, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस सीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, द्वारा औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, रीछी, पंजीयन क्रमांक/2910, दिनांक 28 फरवरी, 2007 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(835)

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1935.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/985, दिनांक 30 मई, 2016 के द्वारा परिसमापन मॉ बिजयासेन साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक/2924, दिनांक 04 मई, 2007 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री. डी. पी. पाल, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस सीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, द्वारा परिसमापक मॉ बिजयासेन साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक/2924, दिनांक 04 मई, 2007 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(836)

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1936.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/226, दिनांक 02 फरवरी, 2019 के द्वारा परिसमापन योगेश्वरी साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक/2912, दिनांक 28 फरवरी, 2007 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती कंचन सोनी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस सीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद,द्वारा परिसमापक योगेश्वरी साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक/2912, दिनांक 28 फरवरी, 2007 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(837)

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1937.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/226, दिनांक 02 फरवरी, 2019 के द्वारा परिसमापन गुरूकृपा साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक/2915, दिनांक 28 फरवरी, 2007 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती कंचन सोनी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस सीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद,द्वारा परिसमापन गुरूकृपा साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक/2915, दिनांक 28 फरवरी, 2007 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(838)

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1938.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3013, दिनांक 23 सितम्बर, 2017 के द्वारा परिसमापन जय बजरंग हाथ करघा सहकारी समिति मर्यादित, कासदाखुर्द, पंजीयन क्रमांक/81, दिनांक 20 जून, 1989 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री उमेश यादव, उप. अंके. एवं परिसमापक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस सीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, द्वारा परिसमापन जय बजरंग हाथ करघा सहकारी समिति मर्यादित, कासदाखुर्द, पंजीयन क्रमांक/81, दिनांक 20 जून, 1989 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(839)

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1939.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3013, दिनांक 23 सितम्बर, 2017 के द्वारा परिसमापन माइग्रेन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, रानीपुर, पंजीयन क्रमांक/3273, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री उमेश यादव, उप. अंके. एवं परिसमापक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस सीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, द्वारा परिसमापन माइग्रेन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, रानीपुर, पंजीयन क्रमांक/3273, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(840)

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1940.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/225, दिनांक 02 फरवरी, 2019 के द्वारा परिसमापन

बालाजी साख सहकारी समिति मर्यादित, मालनी, पंजीयन क्रमांक 3024, दिनांक 26 फरवरी, 2009 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती अनीता ठाकुर, अंके.अधिकारी एवं परिसमापक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंसशीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा परिसमापन बालाजी साख सहकारी समिति मर्यादित, मालनी, पंजीयन क्रमांक 3024, दिनांक 26 फरवरी, 2009 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(841)

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1941.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3014, होशंगाबाद, दिनांक 23 सितम्बर, 2017 के द्वारा परिसमापन बालाजी बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, सुखतवा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3032, दिनांक 30 जून, 2009 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एल. एल. अम्बुलकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंसशीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन बालाजी बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, सुखतवा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3032, दिनांक 30 जून, 2009 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

बी. एस. परते,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(842)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अंतर्गत]

क्र./पंजीयन/पुनर्गठन/2019/1102.—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरावर एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खड़ीहाट को पुनर्गठित कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरावर से ग्राम चामसी को पृथक् कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खड़ीहाट में जोड़ने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर के पत्र क्रमांक फील्ड/37/19/2750, दिनांक 19 जनवरी, 2019 परिशिष्ट अ, ब में निर्धारित जानकारी दिनांक 22 जनवरी, 2019 को प्राप्त हुआ. उक्त जानकारी आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/116/2019, दिनांक 07 फरवरी, 2019 द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरावर से ग्राम चामसी को से पृथक् कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खड़ीहाट में जोड़ने हेतु स्वीकृति

बावत् प्रस्ताव भेजा गया. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2019/2042, दिनांक 05 जुलाई, 2019 द्वारा ग्राम चामसी को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरावर से पृथक् कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खड़ीहाट में जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2019/643, दिनांक 12 जुलाई, 2019 द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरावर को पुनर्गठित कर परिणामतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खड़ीहाट में ग्राम चामसी को जोड़ने हेतु वित्तदायी बैंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर के मुख्य कार्यापालन अधिकारी एवं प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरावर एवं खड़ीहाट को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया.

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरावर द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2019 एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खड़ीहाट द्वारा दिनांक 06 अगस्त, 2019 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था पुनर्गठन को स्वीकार किया गया. पारित प्रस्ताव अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरावर में ग्रामः- मुरावर, कुरावर, मूण्डला, हाजीपुर, कान्याखेड़ी, पलासी को एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खड़ीहाट में ग्राम-खड़ीहाट, डूका, हरन्यागांव, कल्याणपुरा, चामसी को कार्यक्षेत्र में लेकर पुनर्गठन किये जाने हेतु सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.

चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर कहता है इसलिए अधिनियम की धारा-16(5) के अन्तर्गत संस्था प्रबंधक द्वारा स्वेच्छा जाहिर करने का अवसर समस्त सदस्यों को दिया गया. कार्यालय के पत्र क्रमांक/पंजीयन/पुनर्गठन/2019/675, दिनांक 22 जुलाई, 2019 द्वारा धारा-16(12) के अन्तर्गत पुनर्गठन स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3 में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई.

चूंकि यह पुनर्गठन प्रस्ताव लोकहित में है, अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अन्तर्गत आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरावर एवं परिणामी समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खड़ीहाट निम्नानुसार अपने आप को पुनर्गठित करे:-

प्रभावित संस्था	मुख्यलाय	कार्यक्षेत्र
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरावर पंजीयक क्रमांक 977, दिनांक 24-04-1955.	मुरावर	मुरावर, कुरावर, मूण्डला, हाजीपुर, कान्याखेड़ी, पलासी.
परिणामी संस्था-		
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खड़ीहाट पंजीयक क्रमांक 975, दिनांक 10-12-1960.	खड़ीहाट	खड़ीहाट, डूका, हरन्यागांव, कल्याणपुरा, चामसी.

1. पुर्नगठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूंजी पूर्ववर्ती प्राथमिक कृषि साख सहाकरी संस्था मर्या., मुरावर के पास रहेगी. सदस्यों की अंशपूंजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित किया जावे.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भूपेन्द्र प्रातप सिंह,
उप-पंजीयक.

(843)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन (म.प्र.)

उज्जैन, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनयम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1654.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 268, दिनांक 18 फरवरी, 2019 द्वारा माँ दुर्गा बहु. महिला सहकारी संस्था मर्या., आज्यानजीक जिसका पंजीयन क्रमांक 1635, दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पुरूषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(844)

उज्जैन, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनयम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1655.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1314, दिनांक 18 जून, 2018 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलोदियाजागिर जिसका पंजीयन क्रमांक 2281, दिनांक 12 नवम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. एन. मेहता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(845)

उज्जैन, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनयम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1656.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 743, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा योगमाया साख सहकारी संस्था मर्या., बडनगर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1860, दिनांक 09 जुलाई, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(846)

उज्जैन, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनयम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1657.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1673, दिनांक 17 अक्टूबर, 2011 द्वारा बलराम बीज उत्पादक विपणन सहकारी संस्था मर्या., गावडी जिसका पंजीयन क्रमांक 148, दिनांक 17 नवम्बर, 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(847)

उज्जैन, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनयम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1658.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2445, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 द्वारा नागदा नागरिक अनुपम साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(848)

उज्जैन, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनयम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1659.–कार्यालयीन आदेश क्रमांक 574, दिनांक 05 मार्च, 2018 द्वारा सम्मान परिवहन सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2322, दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

(849)

कार्यालय, परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., गुना

दिनांक 22 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनयम, 1960 नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2355.—कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, संभाग ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परि./2016/283, दिनांक 19 फरवरी, 2016 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., गुना को परिसमापन में लाया जाकर 70(1) के अन्तर्गत उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, गुना को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., गुना	102/12-09-1963

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण पत्र के यदि कोई हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखा समस्त दायित्व स्वयमेंव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जाकर गत वित्तीय पत्रकों के आधार पर संस्था की देनदारी-लेनदारी का निराकरण किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

बबलू सातनकर,
परिसमापक एवं उप-पंजीयक.

(850)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2019.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2019-कार्तिक 17, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2019

1. **मौसम एवं वर्षा.**—प्राय: राज्य में मौसम शुष्क रहा. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिली मीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. **प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.

3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.

4. **धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.

5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-**कोई प्रभाव नहीं.

6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.

7. **अन्य असामयक घटना से क्षति :**-किसी भी जिले से किसी प्रकार की क्षति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.

8. **फसल स्थिति :**-जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **सिंचाई:**- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

10. **पशुओं की स्थिति:**- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. **चारा :**- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. **बीज:**- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. **खेतिहर श्रमिक :**- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	12.0		4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	50.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	58.0			(ब) अच्छी.	
4. जौरा	14.0				
5. कैलारस	28.0				
6. सबलगढ़	49.2				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	351.0	रोपाई चालू.	4. (1) गन्ना, कपास, धान समान.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	379.0	जुताई चालू.	ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँग,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	91.7		तिल, मक्का, सोयाबीन.	(ब) अच्छी.	
4. वीरपुर	67.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है.		
5. बडोदा	244.0		10%		
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अटेर	41.0	बोनी चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	44.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	36.0			(ब) अच्छी.	
4. मेहगांव	170.0				
5. लहार	47.0				
6. रौन+मिहोना	38.0				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	25.7	बोनी चालू.	4. (1) धान, गन्ना, ज्वार समान.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	75.5		बाजरा, तिल, तुअर सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	29.1		सोयाबीन, उड़द सामान्य.	(ब) अच्छी.	
4. चीनोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है.		
5. घाटीगांव	49.0		20%		
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	86.0	बोनी चालू.	4.(1) गन्ना, उड़द, मूंग सामान्य.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	90.0	रोपाई चालू.	तिल, मूंगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दरगढ़	. .		धान अधिक.	(ब) अच्छी.	
4. बढौनी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. भाण्डेर	133.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	90.5	बोनी चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	22.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	47.0			(ब) अच्छी.	
4. नरवर	47.0				
5. करैरा	40.6				
6. कोलारस	175.0				
7. पोहरी	139.0				
8. बैराढ़	125.0				
9. बदरवास	77.0				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	151.0		4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	109.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	183.0			(ब) अच्छी.	
4. चन्देरी	134.0				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	195.7		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द समान.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	125.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	257.0			(ब) अच्छी.	
4. आरोन	179.0				
5. चाचौड़ा	154.0				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	156.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	89.0		4. (1) ज्वार, उड़द, मूंग अधिक 20%.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	27.0		तिल अधिक 10%. धान,	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	158.0		सोयाबीन, मूंगफली कम 10%.	(ब) अच्छी.	
4. टीकमगढ़	88.0		तुअर, गन्ना कम 15%.		
5. बल्देवगढ़	25.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. पलेरा	128.0				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	94.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	76.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	118.8			(ब) अच्छी.	
4. छतरपुर	41.8				
5. राजनगर	37.8				
6. बिजावर	42.0				
7. बड़ा मलहरा	46.2				
8. लवकुशनगर	45.0				
9. बक्सवाहा	55.6				
10. महाराजपुर	. .				
11. चंदला	. .				
12. धुवारा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	32.4	बोनी चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	27.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	106.0			(ब) अच्छी.	
4. पवई	132.0				
5. शाहनगर	78.1				
6. देवेन्द्रनगर	27.0				
7. अमानगंज	106.0				
8. सिमरिया	132.0				
9. रैपुरा	78.1				
10. जयसिंह नगर	74.8				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	132.0	बोनी चालू.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का कम.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	76.0		तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	92.8		तिल, मूँगफली.	(ब) अच्छी.	
4. सागर	76.4		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई		
5. रेहली	55.5		हैं. 20%		
6. देवरी	88.0				
7. गढ़ाकोटा	79.4				
8. राहतगढ़	96.0				
9. केसली	94.2				
10. मालथोन	118.3				
11. शाहगढ़	64.0				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	74.0		4. (1) सोयाबीन, तुअर, मूँग अधिक.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	90.9		उड़द, धान कम.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	143.9		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
4. पथरिया	66.0				
5. जवेरा	60.0				
6. तेन्दूखेड़ा	75.2				
7. पटेरा	37.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	60.0	बोनी चालू.	4. (1) धान समान. तिल 25% कम,	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	7.0		सोयाबीन 25% कम, उड़द	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	78.0		15% कम, मूँग 25% कम,	(ब) अच्छी.	
4. नागौद	29.5		धान 45% कम, ज्वार 45%		
5. उचेहरा	97.0		कम, मक्का 35% कम.		
6. अमरपाटन	105.0				
7. रामनगर	102.0		(2) . .		
8. मैहर	50.0				
9. कोठर	. .				
10. विरसिंहपुर	62.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	84.0	बोनी चालू.	4. (1) धान 20% कम, उड़द 10%	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	52.0	रोपाई चालू.	कम, मूँग 20% कम, तुअर	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	82.4		30% कम, ज्वार 45% कम.	(ब) अच्छी.	
4. हनुमना	10.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. हुजूर	87.8				
6. गुढ़	56.8				
7. मनगवां	33.0				
8. सेमरिया	42.0				
9. जवा	90.0				
10. नईगढ़ी	105.0				
11. रायपुरकचुंलियान	24.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	50.0	बोनी चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	52.0	रोपाई चालू.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जयसिंहनगर	48.0			(ब) अच्छी.	
4. बुढ़ार	76.0				
5. गोहपारू	51.0				
6. जैतपुर	42.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	125.0	बोनी चालू.	4. (1) धान, मक्का, तुअर समान.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	66.6	रोपाई चालू.	सोयाबीन, तिल, उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	117.9		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
4. पुष्पराजगढ़	461.4				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	73.8	बोनी चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. . .
2. पाली	52.3	रोपाई चालू.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. चंदिया	. .			(ब) अच्छी.	
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	42.8				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	41.0	बोनी चालू.	4. (1) धान, तुअर, मूँग, उड़द,	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	33.0	रोपाई चालू.	तिल कम. मक्का समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	57.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
4. कुसमी	36.0				
5. चुरहट	55.0				
6. बहरी	53.2				
7. रामपुरनैकिन	53.0				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	34.0	बोनी चालू.	4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द कम.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	46.0	रोपाई चालू.	तिल, तुअर, धान कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सरई	59.8		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई	(ब) अच्छी.	
4. माडा	88.8		है.		
5. सिंगरौली	140.5				
21.जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा	131.8		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	192.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	256.5			(ब) अच्छी.	
4. गरोठ	326.0				
5. मंदसौर	151.5				
6. श्यामगढ़	179.6				
7. सीतामऊ	263.4				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
11. दलोदा	151.5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जावद	107.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक. ज्वार अधिक. मूँग, मूँगफली, तिल, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	105.0				
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	158.2				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जावरा	94.0		4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	153.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	102.0			(ब) अच्छी.	
4. बाजना	50.0				
5. ताल	110.8				
6. रावटी	103.8				
7. पिपलोदा	77.0				
8. रतलाम	84.0				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू. बोनी चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	107.0		4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	123.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	135.0			(ब) अच्छी.	
4. घटिया	100.0				
5. उज्जैन	92.0				
6. बड़नगर	118.0				
7. नागदा	162.0				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	176.0		4. (1) सोयाबीन अधिक.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	97.6		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	165.3			(ब) अच्छी.	
4. आगर	125.0				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	170.0		4. (1) सोयाबीन, उड़द, तुअर समान. मक्का, मूँगफली कम.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	264.0				
3. शुजालपुर	199.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है.	(ब) अच्छी.	
4. कालापीपल	316.0				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बडौदिया	. .				
7. गुलाना	199.0				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	233.0		4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	222.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	128.0			(ब) अच्छी.	
4. बागली	137.0				
5. कन्नोद	252.0				
6. हाटपिपल्या	95.0				
7. सतवास	182.0				
8. उदयनगर	138.0				
9. खातेगांव	223.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	28.0	बोनी चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. . .
2. मेघनगर	18.0	रोपाई चालू.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	44.6			(ब) . .	
4. झाबुआ	36.6				
5. राणापुर	27.0				
6. रामा	48.0				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	43.4	बोनी चालू.	4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक. बाजरा अधिक.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	91.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
3. कट्ठीवाड़ा	71.0				
4. सोंडवा	69.0				
5. उदयगढ़	37.6				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	34.6				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	175.3		4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	68.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	99.4			(ब) अच्छी.	
4. कुक्षी	151.0				
5. मनावर	57.0				
6. धरमपुरी	61.0				
7. गंधवानी	59.0				
8. डही	50.0				
9. पीथमपुर	56.4				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	155.0	बोनी चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	126.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	78.7			(ब) अच्छी.	
4. गौतमपुरा	98.0				
5. हातोद	. .				
6. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	161.0				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	59.0		4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	58.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	98.0			(ब) अच्छी.	
4. खरगौन	178.7				
5. गोगावां	186.1				
6. कसरावद	56.0				
7. भगवानपुरा	136.2				
8. भीकनगांव	169.0				
9. सनावद	58.0				
10. झिरन्या	200.0				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	75.2	बोनी चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	83.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	55.0			(ब) अच्छी.	
4. सेंधवा	116.8				
5. पानसेमल	95.0				
6. पाटी	39.0				
7. अंजड	. .				
8. बरला	95.4				
9. निवाली	114.3				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. खण्डवा	360.0		4. (1) सोयाबीन कम,धान, कपास, मक्का, मूँगफली, ज्वार, तुअर, समान.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	46.0			(ब) . .	
3. खालवा	266.0				
4. पंधाना	187.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. हरसूद	133.0				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	159.0		4. (1) कपास, ज्वार, सोयाबीन, मक्का समान.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	245.0				
3. नेपानगर	218.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1.राजगढ़	104.0	जुताई चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2.जीरापुर	136.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3.खिलचीपुर	136.0			(ब) अच्छी.	
4.ब्यावरा	236.0				
5.सारंगपुर	185.0				
6.पचोर	135.0				
7.नरसिंहगढ़	145.0				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	188.9		4. (1) सोयाबीन सामान्य.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	159.9		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	159.8			(ब) अच्छी.	
4. बासोदा	118.8				
5. नटेरन	17.0				
6. विदिशा	55.4				
7. गुलाबगंज	72.0				
8. शमसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	79.0				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	59.4		4. (1) सोयाबीन, मूँग, उड़द समान ज्वार, मक्का, धान समान.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	424.4				
3. बैरागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
4. कोलार	203.9				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	533.6		4. (1) गन्ना, मक्का कम. सोयाबीन, तुअर समान.	6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	271.0				
3. इछावर	236.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
4. नसरूल्लागंज	372.0				
5. रेहटी	337.2				
6. श्यामपुर	331.8				
7. जावर	182.2				
8.बुधनी	289.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	186.8	रोपाई चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. . .
2. गैरतगंज	140.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	91.0			(ब) अच्छी.	
4. गोहरगंज	372.0				
5. बरेली	256.0				
6. सिलवानी	177.8				
7. बाड़ी	157.0				
8. सुल्तानपुर	48.0				
9. उदयपुरा	191.7				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	165.0		4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	325.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	225.7			(ब) अच्छी.	
4. शाहपुर	212.9				
5. चिचोली	261.7				
6. मुल्ताई	235.2				
7. आठनेर	245.2				
8. आमला	151.0				
9. प्र.पट्टन	126.4				
10. भीमपुर	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	413.6	बोनी चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	398.6	रोपाई चालू.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	216.0			(ब) अच्छी.	
4. इटारसी	344.6				
5. सोहागपुर	187.0				
6. पिपरिया	157.3				
7. बनखेड़ी	223.2				
8. डोलरिया	243.7				
9. पचमढ़ी	283.0				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	208.6		4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	299.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .			(ब) अच्छी.	
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	223.8				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .	बोनी चालू.	4. (1) धान, तुअर, उड़द, मक्का,	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	105.5	रोपाई चालू.	मूँग कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	117.2		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.	(ब) अच्छी.	
4. पाटन	147.0				
5. मझौली	79.0				
6. शाहपुरा	41.2				
7. पनागर	22.1				
8. अधारताल	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	62.2	बोनी चालू.	4. (1) धान, तिल, उड़द, मक्का.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	162.5	रोपाई चालू.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	63.2			(ब) अच्छी.	
4. बड़वारा	133.0				
5. मुड़वारा (कटनी)	87.4				
6. विजयराघवगढ़	71.5				
7.बरही	127.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	144.0	बोनी चालू.	4. (1) गन्ना अधिक 10%.	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	161.0	रोपाई चालू.	(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	147.0			(ब) अच्छी.	
4. गाडरवारा	263.0				
5. तेंदूखेड़ा	235.0				
47.जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	129.1	बोनी चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	139.5	रोपाई चालू.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	185.2			(ब) अच्छी.	
4. निवास	201.7				
5. नारायणगंज	188.7				
6. घुघरी	142.5				
48.जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डौरी	105.3	बोनी चालू.	4. (1) धान, मक्का, उड़द,	6.(अ)संतोषजनक,	8. . .
2. शाहपुरा	123.7	रोपाई चालू.	सोयाबीन समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	93.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.	(ब) अच्छी.	
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. छिन्दवाड़ा	81.8	रोपाई चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	226.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	183.3			(ब) अच्छी.	
4. जुन्नारदेव	204.0				
5. सौंसर	120.0				
6. बिछुआ	74.6				
7. अमरवाड़ा	203.4				
8. चौरई	86.9				
9. उमरेठ	166.0				
10. मोहखेड	135.8				
11. हर्रई	181.8				
12. चांद	58.5				
13. पांढुर्णा	207.4				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	121.6	बोनी चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	103.8	रोपाई चालू.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	100.0			(ब) अच्छी.	
4. केवलारी	89.4				
5. लखनादोन	262.7				
6. छपारा	262.3				
7. धनोरा	150.5				
8. घंसोर	107.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	108.4	रोपाई चालू.	4. (1) . .	6.(अ)संतोषजनक,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	130.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	183.8			(ब) अच्छी.	
4. बैहर	90.0				
5. वारासिवनी	162.8				
6. कटंगी	59.1				
7. लालबर्रा	70.0				
8. तिरोडी	125.8				
9. परसवाड़ा	106.0				
10. बिरसा	104.4				
11. खैरलाँजी	59.8				

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
(810) भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2019.